न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश (समक्षः—डी०सी०थपलियाल)

प्र०क० 147/11 नि०फौ० मनीषा उर्फ शालू आयु 20 वर्ष पत्नी स्व०श्री संग्राम सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सिंघवारी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

—————निगरानीकर्ता

बनाम

- 1— फूलवती आयु 58 वर्ष पत्नी मोहरसिंह
- 2- मोहरसिंह आयु 62 वर्ष पुत्र गंभीरसिंह
- 3- राधेलाल आयु 60 वर्ष पुत्र गंभीरसिंह
- 4— रामसहाय पुत्र राधेलाल आयु 30 वर्ष
- 5— आशा पुत्री मोहर सिंह आयु 38 वर्ष
- 6— गिरजा पुत्री मोहरसिंह आयु 32 वर्ष
- 7— कप्तानसिंह पुत्र नामालूम आयु ४० वर्ष
- 8- रामवीर पुत्र हरीसिंह आयु 35 वर्ष समस्त जाति जाटव निवासीगण कं0 1 लगायत
 4 ग्राम सिंघवारी 5,7 चकबरथरा व 6 व
 8 ग्राम भौनपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—————प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्तागण द्वारा श्री के0पी0राठोर अधि0 । प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा श्री ए०के0 राणा अधि0 ।

// आ देश //

(आज दिनांक 28-09-2015 को पारित किया गया)

1— निगरानीकर्तागण की और से प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 397 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है जिसमे निगरानीकर्तागण ने जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीश शर्मा

के द्वारा परिवारदपत्र पेश किया गया था जिसमें आदेश दिनांक 10—6—2011 जिसमें कि संज्ञान लिये जाने का कोई आधार न होने के कारण निरस्त किया गया है से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी पेश की गई है |

वर्तमान पुनरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिनिगरानीकर्ता / आरोपी कं. 1 व 2 निगरानीकर्ता के सास ससुर और प्रतिनिगरानीकर्ता 3 निगरानीकर्ता के चिचया ससुर, प्रतिनिगरानीकर्ता 4 चिचया ससुर का लडका होकर जेठ है और प्रतिनिगरानीकर्ता कं0 5,6 निगरानीकर्ता की नन्दे हैं तथा 7 व 8 नन्दोई होकर ससुरालजन हैं । निगरानीकत्प्र की शादी 12-5-09 को ग्राम महादेवपुरा थाना बरोही तहसील अटेर जिला भिण्ड में सम्पन्न हुयी थी तभी प्रतिनिगरानीकर्ता को दहेज में अत्यधिक सामान भी दिया गया था । दिनांक 2-5-2010 को दुर्भाग्यवश निगरानीकत्प्र के पति संग्राम सिंह का एक दुघर्टना में निधन हो गया जो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे । उसके बाद प्रतिनिगरानीकर्ता सामुहिक रूप से एकत्रित होकर उससे पचास हजार रूपये की मांग करने लगे और न देने पर कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताडनाएं देने लगे जिसकी रिपोर्ट निगरानीकर्ता ने रजिस्टर्ड डांक से पुलिस अधीक्षक भिण्ड व एस0डी0ओ0पी0 गोहद एवं थाना मालनपुर को भी भेजी थी जिस पर कार्यवाही न होने पर माननीय न्यायालय में परिवादपत्र पेश किया था । निगरानीकर्ता ने अपने परिवादपत्र के समर्थन में स्वंय का कथन कराया और उसके पश्चात् धारा 202 जा०फो० के अंतर्गत तुलाराम, आशाराम तथा प्रेमनारायण का भी कथन कराया था जिसमें एक राय होकर परिवादपत्र का समर्थन किया था किन्त् योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10-6-2011 में उक्त तथ्यों को अनदेखा करते ह्ये परिवादपत्र को निरस्त कर दिया ।

3— पुनरीक्षणकर्ता / निगरानीकर्ता की और से वर्तमान पुनरीक्षण आवेदनपत्र मुख्य रूप से इस आधार पर पेश किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह तथ्य तो उल्लेखित किया है कि परिवादिया एवं परिवादिया के सभी साक्षियों द्वारा दहेज मांगने वाली एक रूपता में कहीं गयी है किंतु उसके पश्चात् भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय के वक्त की कार्यवाही / साक्ष्य का विश्लेषण को प्रारम्भिक स्टेज पर ही कर दिया जो कि विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । परिवादिया द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को रिजस्टर्ड डांक से शिकायत भेजी गयी थी जिस पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न पुलिस से प्रतिवेदन चाहा गया और न पुलिस से जांच के लिये कहा गया बल्कि परिवादपत्र में वर्णित तथ्यों को भी अनदेखा करते हुये दिन ओर दिनांक के आधार पर परिवादपत्र निरस्त कर दिया । विधि की मंशा के अनुरूप प्रकरण के पंजीयन तर्क के दौरान पंजीयन आदेश के वक्त ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता जिसे

कि प्रकरण में सुना ही नहीं गया हो फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ताओं को बिना कॉल किये जो आदेश पारित किया है वह निरस्ती योग्य है । परिवादिया ने अपने कथन में स्पष्ट बताया है कि प्रतिनिगरानीकर्ता उससे दहेज मांगते हैं जिसका समर्थन अन्य साक्षी आशाराम, प्रेमनारायण व तुलाराम ने भी अपने कथन के दौरान न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया है जिसे भी योग्य न्यायालय द्वारा अनदेखा किया जिससे भी आदेश दिनांक 10—6—2011 काबिले निरस्ती है । ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—6—2011 उचित ना होना बताते हुये आदेश को अपास्त कर प्रतिनिगरानीकर्तागण के विरूद्ध धारा 498ए, 506बी भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेत् अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

- 4— गैरनिगरानीकर्ता पक्ष के द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को उचित रूप से पारित होना बताते हुये उसमें हस्तक्षेप करने या कोई आधार ना होना व्यक्त करते हुये निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।
- 5— निगरानी के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय है:— क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10/6/11 वैधता शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य ना होने से अपास्त किये जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

- 6— प्रकरण का मूल रिकार्ड जो कि अपंजीकृत परिवादपत्र से संबंधित है उसमें उसके विनष्टीकरण की टीप लिखकर आयी है । इस संबंध में परिवादी / निगरानीकर्ता अधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि परिवादपत्र से संबंधित जो भी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं उन्हें वह प्रस्तुत करे । किन्तु परिवादी के द्वारा कोई भी दस्तावेज इस संबंध में पेश नहीं किया गया है ।
- 7— इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 6—10—11 के पारित आदेश में यह स्पष्ट किया है कि दहेज की मांग किस आरोपी के द्वारा कब की गयी ऐसा साक्ष्य में नहीं आया है और दहेज न देने के कारण प्रताडित किये जाने के संबंध में भी साक्ष्य नहीं है जिस आधार पर अपराध का संज्ञान जो कि परिवादपत्र अन्तर्गत धारा 498ए,506बी भा0द0सं0 के तहत पेश किया गया था वह पंजीयन करने योग्य न पाये जाने से निरस्त किया गया है ।
- 8— प्रकरण में परिवादी के द्वारा कोई भी दस्तावेज जिसमें कि परिवादिया एवं उसके साक्षियों के प्रारम्भिक कथन एवं अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जा रहे हैं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—6—11 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने अथव उसमें फेरबदल करने का कोई आधार नहीं है |

9— परिणामतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है । आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये । आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड